न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–01/2021 (2021/43) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–धन्नादास पिता नानुदास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–टमु बाई बेवा धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/2–राजीबाई बेवा धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/3–उंकारदास पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/4–मांगीबाई पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/5–भागीरथदास पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/6–कमला पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/7–लादुदास पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/8–घीसीबाई पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/9–सुगनाबाई पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/10–सत्यनारायणदास पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर
1/11–सम्पतदास पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/12–गोपालदास पिता धन्नादास बैरागी निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–लादु पिता खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–बंशी पिता खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–लेहरी बेवा खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–छितर पिता गोकल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–मदन पिता गोकल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–सुरेश पिता गोकल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–कंकु बेवा गोकल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित

1. मनोहरलाल बापना, सुनिल बापना — अधिवक्ता प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:09 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 07.04.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि बैरून हल्के आबादी ग्राम थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 374/1 ग रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी जो खातेदार बालू पिता गुलाब कुमावत

मुकदमा नम्बर–01/2021 (2021/43) प्रार्थना पत्र

निवासी थला के नाम पर राजस्व जमाबंदी संवत 2046 से 2049 में दर्ज रेकार्ड थी। उक्त वर्णित आराजी साबिक नक्शे में तरमीम की गई। प्रमाण मे जमाबंदी संवत 2050 से 2053 व साबिक नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश की है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 374/1 ग रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र से खातेदार बालु पिता घीसा कुमावत से दिनांक 04.01.1993 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया व राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी के नाम पर उक्त आराजी दर्ज हो गई। उक्त आराजी एक ही चक थी। वक्त खरीद से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है। उक्त आराजी एक चक होकर चारों ओर थोहरों की बाड़ लगी हुई है। दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक आराजी संख्या 374/1 ग रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के नवीन नम्बर 698 रकबा 0.54 व 699 रकबा 0.27 हेक्टेयर कायम किये। लेकिन नवीन नक्शा ट्रेस में हाल आराजी संख्या 698 व 699 को साबिक नक्सा अनुसार अंकित नहीं कर नक्शे में परिवर्तन कर दिया व हाल आराजी संख्या 698 व 699 के स्थान पर हाल आराजी संख्या 692 व 692/1635 अंकित कर दिया व नक्शे आकृति में भी परिवर्तन कर दिया, साबिक नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजी संख्या 374/1ग लम्बाई में थी जिसे नवीन नक्शा ट्रेस में चौडाई मे आडा कर दिया व जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का सादर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम थला की हाल आराजी संख्या 698 व 699 को साबिक नक्शा अनुसार हाल आराजी संख्या 692 व 692/1635 के स्थान पर दुरुस्ती करा अंकित कराया जावे व इसी अनुसार नवीन नक्शे मे साबिक नक्शे अनुसार दुरुस्ती कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 व 6 स्वयं उपस्थित एवं प्रतिवादीगण 5 व 7, 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार रायपुर विपक्षी संख्या 1 के द्वारा मौका रिर्पोट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर की द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी धन्नादास के वारीसान जमाबन्दी अनुसार के नाम ग्राम थला की आराजी संख्या 698 रकबा 0.54 है0 आराजी संख्या 699 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 है0 खातेदारी दर्ज रेकार्ड है जिसके सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा वादीगणो का न होकर श्री बालु पिता लक्ष्मण अम्बालाल पिता खेमा लेहरू, छीतर, [illegible] कुमावत सर्वनिवासीयान थला का है। वादीगण के वारीसान का कब्जा [illegible] 692/1635 कुल रकबा 0.32 है0 मे से 0.22 है0 पर है एवं आराजी [illegible] 692 रकबा [illegible] है0 खातेदारी भूमि होकर छीतर, मदन, सुरेश पिता गोकल कंकु पत्नि [illegible] पिता खेमा, लेहरी पत्नि खेमा 1/2 कुमावत सर्वनिवासीयान थला के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें से 0.43 है0 भूमि पर कब्जा वादीगण के वारीसान का है मौका स्थल भूमि पर कब्जा को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:09 IST
Reason: SelfAttested

दर्शाया गया है। वादीगण की खातेदारी रकबा 0.81 है0 का है जबकि मौका स्थिति आराजी संख्या 692/635 में 0.22 है0 एवं आराजी संख्या 692 में 0.43 है0 कुल 0.65 है0 पर कब्जा है। वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड आराजी एवं मौका स्थल पर कब्जाशुदा आराजी पास–पास स्थित नही होकर दूर स्थित है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण के द्वारा जो भूमि क्रय की गई है वो साबिक आराजी संख्या 374/1ग रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि क्रय की गई है जिसके मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नवीन नम्बर 698 व 699 दर्ज हुए है जो प्रार्थीगण के नाम पर है। प्रार्थीगण के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वो स्पष्ट नही है। प्रार्थीगण अपना कब्जा जिन आराजियात पर बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उन आराजी नम्बर 692 एवं 692/1635 के खातेदार का किस आराजियात पर कब्जा है यह प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया गया है जिससे विपक्षीगण का कब्जा किस आराजी पर है उसका खुलासा प्रार्थना पत्र में नही है। अगर विपक्षीगण का कब्जा प्रार्थीगण की आराजियात पर होता तो प्रकरण शुद्वि की श्रेणी में आता था परन्तु इस प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षीगण का कब्जा नही होकर अन्य व्यक्तियो को कब्जा होना तथा विपक्षीगण की आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा होना दर्शाया है किन्तु विपक्षीगण का किस अराजी पर कब्जा है यह चैन स्पष्ट नही है, जब तक यह पूर्ण जानकारी नही हो तब तक प्रार्थीगण को कोई राहत प्रदान नही की जा सकती है। प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 रेकार्ड के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

07/04/2022

(सुन्दर लाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:09 IST
Reason: SelfAttested